फर्द अहकाम

(नियम - 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अदालत ..... उपखण्ड ..... अधिकारी ..... मुकाम ..... लाडनूं .....

नाम ..... श्री ..... सोहन राम पुत्र ..... रामा राम ..... जाति ..... जाट ..... बनाम ..... तहसीलदार - लाडनूं .....

मुकदमा ..... राजस्व अपील ..... नं. ..... 179/2021 ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
2021	वादी सोहन राम @ सोहा की तरफ से उनके अधिवक्ता ने यह वाद अतिरिक्त तहसीलदार लाडनूं व अन्य के विरुद्ध पेश किया जो दर्ज रजिस्टर है। अतिरिक्त जज के जरिये हाकम के तलब किया जावे। प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं तथा विकास अधिकारी पं. स. लाडनूं के तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब है। पत्रावली दिनांक 3-8-2021 को पेश हो।	
3/8/21	वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार लाडनूं तथा विकास अधिकारी पं.स. लाडनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पत्रावली दिनांक 31-8-21 को पेश हो।	
31/8/2021	वकील पक्षी उपस्थित। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए पेश्कर पत्रावली दिनांक 21/9/2021 को पेश हो।	
21/9/2021	पत्रावली PGKSA-2021 के तहत आयोजित फास्ट ट्रेक कोर्ट पर दिनांक 25/10/2021 को पेश हो।	
7/10/2021	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत आयोजित कैम्प ग्राम पंचायत सीवां में पेश हुई। तहसीलदार लाडनूं, ग्राम विकास अधिकारी तथा सरपंच ग्राम पंचायत छपारा व सीवां के द्वारा स्थाईकरण दुरस्ती आवेदन पत्र अग्रेषित पेश्कर प्राप्त हुआ जिस पर दुरस्ती आदेश जारी हुए हैं जिससे निर्णय का भाव फना पाया है। प्रकरण नस्ती अनुरूप निस्तारित होकर दाखिले दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ (नागौर)	

Scanned with CamScanner